कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपासरोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून , पुलिया नं0–6 के समीप)

पत्रांक :1409/म0नि0नि0/2023–24 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

1. समस्त अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
   जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन
   उत्तराखण्ड।

विषयः– **उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति–2023 प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 177351/2023/XXVII(9)/यू0ओ0–05/स्टाम्प/2015 दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति–2015 में वर्णित प्रावधानानुसार अधिसूचना/आदेश संख्या 205/2015/XXVII(9)/यू0ओ0–05/स्टाम्प/2015 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से प्रदत्त छूट को समाप्त करते हुये, दिनांक 09 अगस्त, 2023 प्रख्यापित को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति–2023 के प्रस्तर संख्या–8.2 में स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, को दिनांक 01 अगस्त, 2023 से प्रभावी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन की उक्त अधिसूचना का अनुपालन करते हुये अपने अधीनस्थ उप निबंधकों कार्यालयों को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

ATUL KUMAR SHARMA — Digitally signed by ATUL KUMAR SHARMA Date: 2023.12.29 14:38:06 +05'30'

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक व संख्या उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिरीक्षक निबंधन, महोदय, उत्तराखण्ड को सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त उप निबंधक, उत्तराखण्ड।
4. कार्यालय प्रति।

ATUL KUMAR SHARMA — Digitally signed by ATUL KUMAR SHARMA Date: 2023.12.29 14:38:14 +05'30'

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्याः 177351/2023/XXVII(9)/यू0ओ0–05/स्टाम्प/2015
देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

चूंकि दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2023 प्रख्यापित की गयी थी, जिसके प्रस्तर संख्या–8.2 में स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। अतः अब राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उद्यम स्थापना हेतु राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू–स्वामियों से उनकी भूमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2015 में वर्णित प्रावधानानुसार अधिसूचना/आदेश संख्या–205/2015/XXVII(9)/यू0ओ0 –05/स्टाम्प/2015, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से प्रदत्त छूट को एतद्द्वारा समाप्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त, 2023 से प्रभावी होगी।

Signed by Anand Bardhan
Date: 22-12-2023 15:39:17

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 177351 (1)/2023/XXVII(9)/यू0ओ0–05/स्टाम्प/2015 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल।
5. महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्राणलय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 100 प्रतियां वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन में उपलब्ध करा दें।
9. गार्ड फाईल।

5/4
12/6
22/12/23

आज्ञा से,

Signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 22-12-2023 16:13:02
(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 22/12/2023 05:23 PM